

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

प.4(236)वित्त-1(1)आ.व्यय/2010

जयपुर, दिनांक : 02-01-2012

संबंधित कोषाधिकारी,
राजस्थान ।

(स्वीकृति संख्या - 518 /2011-12)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में जिला परिषदों /पंचायत समितियों के पी.डी.खातों में राशि का हस्तान्तरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति पत्र क्रमांक एफ 165(4)ले.व./परावि/2011-12/4932 दि. 27.12.11 के साथ संलग्न सारणी एवं शर्तों के अनुसार राशि रु. 31035904/- (अक्षरों रु. तीन करोड़ दस लाख पैंतीस हजार नौ सौ चार मात्र) निम्न बजट मद से प्रभार्य करते हुए संबंधित जिला परिषदों/पंचायत समितियों के पी.डी. खातों में उनके सम्मुख अंकितानुसार हस्तान्तरित कर दी जावे।

-:व्यय निम्नानुसार विकलेय है :-

मांग सं. 41

(राशि रूपयों में)

बजट मद

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

196 -जिला परिषदों/जिला स्तर की पंचायतों को सहायता

(01)-तदर्थ सहायता [01] संस्थापन

12-सहायतार्थ अनुदान (सारणी - 'अ' के अनुसार) (आयोजना)

9072000

2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

197-ब्लाक पंचायतों/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता

(01)-तदर्थ सहायता [01] संस्थापन

12-सहायतार्थ अनुदान (सारणी - 'ब' के अनुसार) (आयोजना)

21963904

कुल योग 31035904/-

इस संबंध में महालेखाकार को भुगतान विवरण पत्र के साथ भेजे जाने वाले वाउचर्स में संबंधित जिला परिषद/पंचायत समितियों का नाम इस स्वीकृती का क्रमांक एवं दिनांक भुगतान मद का विवरण एवं आयोजना दर्शाते हुए अंकित किया जावे।

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के खर्चों के लिए ही किया जावेगा, किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावेगा।

सुवदीय
02.01.12
(सुधीर शर्मा)

शासन उप सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को 5 प्रतियों सहित।
2. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय-5) विभाग।
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त (सीकर व झुन्डुनू को छोड़कर)।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त (जिला सीकर व झुन्डुनू को छोड़कर)।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. सिस्टम एनालिस्ट वित्त (कम्प्यूटर सैल)विभाग, जयपुर।
8. रक्षित पत्राशली।

सुवदीय

शासन उप सचिव, वित्त (बजट)